

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, राज. जयपुर

क्रमांक : एफ.9(104)लेखा / क्रय-ब / सामान्य / 2018-20 /

दिनांक :-

समस्त अतिरिक्त निदेशक,
समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
पशुपालन विभाग राज.।

विषय:- वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र एफ 3(4) वित्त / एसपीएफसी / एस.पी.पी.
पी / तकनीकी / 2020 दिनांक 22.10.2020।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.10.2020 जो
आर टी पी पी एक्ट की धारा 17(3) के बिन्दु संख्या 'क' से 'ज' में वर्णित समस्त सूचनाओं
का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किये जाने से सम्बन्धित हैं।

परिपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही एवं अक्षरशः पालना हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न:- परिपत्र प्रति-1

हो
(दुर्गेश राजोरिया)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : एफ.9(104)लेखा / क्रय-ब / सामान्य / 2018-20 / 18015

दिनांक : 27/11/20

प्रतिलिपि:-

1. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र एवं परिपत्र को उपर्युक्तानुसार
विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराना सुनिश्चित करावें।

27/11/20
वित्तीय सलाहकार